



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10062022-236468
CG-MH-E-10062022-236468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2524]
No. 2524]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISTHA 20, 1944

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 6 जून, 2022

का.आ. 2651(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीख 09 मार्च, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1044(अ) तारीख 09 मार्च, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वर्धा (सेवाग्राम) - नागपुर चौथी रेलवे लाइन के के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् 'दैनिक महाविदर्भ सकाल' और 'दैनिक लोकमत टाइम्स' में तारीख 12 मार्च, 2022 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम अधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में खापरी - नागपुर सेक्शन के अंतर्गत 1 गाँव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, नागपुर(शहर) के अधीन विशेष रेल परियोजना वर्धा (सेवाग्राम) - नागपुर चौथी रेलवे लाइन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण:

अ. क्र.	भूमि अधिग्रहण मामला संख्या	गाँव का नाम	तालुका	संयुक्त माप रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूमि धारक का नाम	संयुक्त माप रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति कार्ड पर भूमि धारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	नगर सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली	संपत्ति कार्ड के अनुसार कुल क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)	संयुक्त माप रिपोर्ट के अनुसार अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (वर्ग.मी.)
1	14/अ-65/2021-22	सोमल वाडा	नागपुर शहर	लेआउट धारक का नाम है परंतु मौके पर सार्वजनिक रोड है	लेआउट धारक का नाम है	58/1	499	कृषी	46500	1968.23
2				प्रवीण भास्करराव बोरकुटे	प्रवीण भास्करराव बोरकुटे	58/1	499	कृषी		168.38
3				लेआउट धारक का नाम है परंतु मौके पर सार्वजनिक रोड है	नवनाथ गृहनिर्माण सहकारी संस्था नागपुर व मस्के ले आउट का रोड	57/2	501/1	कृषी	45767.80	2418.30
4				लेआउट धारक का नाम है परंतु मौके पर सार्वजनिक रोड है	नगर विकास को. औप. हाउसिंग सो.	54/2	521	कृषी	116008.00	79.50
5				नगर भूमापन क्रमांक नहीं	पांदन	56	-	कृषी		1125.65
कुल										5760.06 (वर्ग.मी.)

[फा. सं. AQ/WR-NGP/चौथी लाइन/20E/जून/1 गाँव]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th June, 2022

S.O. 2651(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 951(E) dated the 24th February, 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 2nd March, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Wardha (Sewagram) - Nagpur 4th line** in the district of Nagpur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “**Dainik Mahavidarbh Sakal**” And “**Dainik Lokmat Times**” Dated 12th March, 2022 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received by competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further , in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **Wardha (Sewagram) - Nagpur 4th line** in 1 village in **Khapri-Nagpur Section** under **Special Land acquisition Officer and Sub-Divisional Officer, Nagpur (City)** in the district Nagpur in the State of Maharashtra.

S N.	Land Acquisition Case No	Name of the Village	Taluka	Name of land holder on the spot as per JMR	Name of land holder on as per JMR property card	Survey No.	City Survey No.	Land Holding System	Total area as per Property Card (Sq.m.)	Area to be Acquired as per JMR (Sq.m.)
1	14/ A - 65 /2021-22	Somalwada	Nagpur City	Name of the layout holder but on the spot Public road	Name of the layout holder	58/1	499	Agriculture	46500	1968.23
2				Praveen Bhaskarrao Borkute	Praveen Bhaskarrao Borkute	58/1	499	Agriculture		168.38
3				Name of the layout holder but on the spot Public road	Navnath Gruhnirman Sahkari Sanstha Nagpur And Muske Lay Out Road	57/2	501/1	Agriculture	45767.80	2418.30
4				Name of the layout	Nagar Vikash Co. Op.	54/2	521	Agriculture	116008.00	79.50

S N.	Land Acquisition Case No	Name of the Village	Taluka	Name of land holder on the spot as per JMR	Name of land holder on as per JMR property card	Survey No.	City Survey No.	Land Holding System	Total area as per Property Card (Sq.m.)	Area to be Acquired as per JMR (Sq.m.)
				holder but on the spot Public road	Hausing Society					
5				City Survey No. Not available	Paandan	56	-	Agriculture		1125.65
Total										5760.06 (Sq.m.)

[F. No. AQ/WR-NGP/Fourth Line/20E/June/1 Village]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Cons.)